**प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम**
**एवं जिला कलक्टर उदयपुर**
**निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.**

प्रकरण संख्याः 67/2025 (अपील सूचना का अधिकार)

वी.के. सेठिया पुत्र जैनेंद्र कुमार सेठिया पताः 218, मेन रोड़, भोपालपुरा, उदयपुर
..............अपीलार्थी

**बनाम**

सहायक लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर(शहर), उदयपुर
..................प्रत्यर्थी

## प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

## निर्णय

दिनांकः 02/06/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 12.03.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 2 बिन्दुओं की सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/67/25/458–59 दिनांक 05.05.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर(शहर), उदयपुर द्वारा जरिये पत्रांक एडीएमसीटी/सू.अ./2025/131 दिनांक 16.05.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन में दिनांक 18.02.2023 के समाचार पत्र दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार नर्सिंग कर्मचारी के नाम सीएमओ के फर्जी आदेश के संबंध में जांच रिपोर्ट की प्रति चाही गई, जिसके संबंध में वांछित सूचना इस कार्यालय के समसंख्यक पंत्राक 116 दिनांक 24.04.2025 को प्रार्थी को प्रेषित की जा चुकी है।

अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वह किडनी रोग से ग्रसित होने से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता। लोक सूचना अधिकारी द्वारा पत्र के जरिये लिख दिया है कि दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। कृपया जांच का आदेश कर जांच कराई जावे एवं बिन्दु संख्या 2 की सूचना भी उपलब्ध कराये जाने के लिए आदेशित करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर(शहर), उदयपुर द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 116 दिनांक 24.04.2025 से अपीलार्थी को स्पष्ट अवगत कराया गया है कि मांगी गई सूचना से संबंधित दस्तावेज कार्यालय रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं होने से सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(च) अनुसार यदि कोई सूचना अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है तो उसे उपलब्ध कराया जाना बाध्यकारी नहीं हैं। बिन्दु संख्या 2 में अपीलार्थी द्वारा प्रश्नोत्तरी की गई है, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रश्न करने और उनका उत्तर देने का प्रावधान नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02-06-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर